न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 298/2021
जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2021/624

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.रूपाराम पुत्र करनाराम 2.मदाराम पुत्र करनाराम 3.गीगीदेवी पत्नी करनाराम 4.हनुमानाराम पुत्र नैनाराम 5.बाबुराम पुत्र नैनाराम 6.सूजाराम पुत्र नैनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी किटनोद तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा		1.प्रेमूराम पुत्र जवानाराम 2.नेमाराम पुत्र जवानाराम 3.तिलोकाराम पुत्र जवानाराम 4.दूदाराम पुत्र वोताराम 5.प्रहलादराम पुत्र विशनाराम 6.शंकरलाल पुत्र विशनाराम 7.भूराराम पुत्र विशनाराम जति चौधरी निवासी किटनोद तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 5 से 7
5.विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 8 एकपक्षीय।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:आदेश :

दिनांक– 19.12.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.रूपाराम पुत्र करनाराम 2.मदाराम पुत्र करनाराम 3. गीगीदेवी पत्नी करनाराम 4. हनुमानाराम पुत्र नैनाराम 5. बाबुराम पुत्र नैनाराम 6. सूजाराम पुत्र नैनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी किटनोद निवासी किटनोद तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 266 रकबा 21.08 बीघा मौजा किटनोद तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 813/258 व विप्रार्थी संख्या 05 से 7 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 265 भूमि में से 02 गटटा चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता. नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री भेलाराम कुमावत द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं 8 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 08 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है। विप्रार्थी संख्या 08 वक्त बहस उपस्थित नहीं हुए।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 813/258 व विप्रार्थी संख्या 05 से 07 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 265 भूमि में से 02 गटटा बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अन्तः में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति भूमि विप्रार्थी को देने के लिए सहमत है।

04. विप्रार्थी संख्या 5 से 7 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है। क्योकि विप्रार्थी की रास्ता मे जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण क्षतिपूति भूमि देने के सहमत है। इस कारण क्षतिपूर्ति भूमि प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नहीं है।

05. हमनें विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 813/258 व 265 में से 02 गटटा चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जिसके समर्थन में विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता इस शर्त पर दिया है कि प्रस्तावित रास्ता के बदले प्रार्थीगण विप्रार्थी को रास्ता मे जानी वाली भूमि के बदले क्षतिपूति भूमि देंगे तथा इस आंशय का पक्षकारान द्वारा राजीनामा भी न्यायालय हाजा मे पेश किया गया है। विप्रार्थी संख्या 08 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट मय अनुशंसा सहित उपलब्ध करवाए गए।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 266 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया है तथा विप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की सहमति प्रदान करते हुए मौका रिपोर्ट में अंगुष्ठ/हस्ताक्षर किए गए है एवं पक्षकारान द्वारा माफिक मौका रिपोर्ट मुताबिक रास्ता दिए जाने बाबत प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया। उक्त राजीनामा अनुसार रास्ता मे जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण विप्रार्थी को क्षतिपूति हेतु भूमि देगे। उक्त रास्ता के बदले प्रतिकर में प्रार्थीगण भूमि देना तय किया है,जो कि 2019 डी.एन.जे(राज.) पृष्ठ181 मे प्रतिपादित है कि प्रतिकर का तात्पर्य केवल राशि से नहीं है बल्कि यह किसी भी प्रारूप में हो सकता है–भूमि से बेहतर कुछ भी नहीं है–काश्तकारी नियमों के नियम 70 (1)(i) के अन्तर्गत भूमि दी जा सकती है। जो कि हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा होता है। इस कारण प्रस्तावित रास्ता ही स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत व विधि सम्मत् प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

7.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल खसरा संख्या 813/258 मे से क्षेत्रफल 0.0168 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 265 मे से क्षेत्रफल 0.1060 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु भूमि बनती है। प्रस्तावित रास्ता के बदले प्रार्थीगण विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति हेतु भूमि देने के लिए बाध्य रहेगे। अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम किदनोद तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 266 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी खसरा संख्या 813/258 मे से क्षेत्रफल 0.0168 हैक्टयर एवं विप्रार्थी संख्या 05 से 7 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 265 मे से क्षेत्रफल 0.1060 हैक्टयर भूमि संलग्न नक्शानुसार बरंग लाल भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। प्रस्तावित रास्ता के बदले विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति हेतु भूमि माफिक राजीनामा अनुसार देने के लिए प्रार्थीगण बाध्य रहेगे। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19/12/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
19/12/2024

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा